न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 146 / 2014

1 भज्जाराम पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 33 लुहारों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 महावीर पुत्र किशोरीलाल।
2 सुरेश पुत्र जयदेव।
3 महेश पुत्र बेनीप्रसाद।
4 राधेश्याम पुत्र भगवानाराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नम्बर 33 लुहारों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
5 तहसीलदार फतेहपुर लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार।
6 पटवारी हल्का कस्बा फतेहपुर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 16 / 2013 उनवानी महावीर आदि बनाम भज्जाराम (भजनलाल) आदि दिनांकित 05.11.2014 आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कन्हैयालाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री जितेन्द्र वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 17.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2013 में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में कस्बा फतेहपुर से पश्चिम की तरफ अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 622 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 621/1/3 में से धारा 251ए के तहत रास्ते का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदक का आवेदन पूर्ण नही है इस आवेदन में रास्ता जो चाहा गया है उसकी चौडाई अंकित नही की गई है। आवेदक के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में नया रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नही है। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी वैकिल्पक रास्ता का अंकन है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2014 को उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई थी। इसके उपरान्त कोई आदेश पारित नही किया गया है अपितु विचारण न्यायालय द्वारा पुन दिनांक 15.10.2014 को तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 31.10.2014 को विचारण

प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में भेजी गई है। विचारण न्यायालय ने नियम 69 की पालना किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 622 में आवागमन हेतु दिया गया रास्ता ही निकटतम है अपीलांट द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 662,625,623 में से होकर जाता है यह काफी लम्बा है। मौके पर काफी वर्षो से विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये रास्ते से ही आवागमन करते आ रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2014 को उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई थी। इसके उपरान्त कोई आदेश पारित नही किया गया है अपितु विचारण न्यायालय द्वारा पुन दिनांक 15.10.2014 को तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 31.10.2014 को विचारण न्यायालय में भेजी गई है। विचारण न्यायालय ने नियम 69 की पालना किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियम 69 की पालना करते हुये प्रकरण में बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत

पदेन राजस्व अपील अधिकारी

निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर